

भूल वाव में डिक्की

(आदेश-20 के नियम-8 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बहुजलास श्री गन्धकिशोर राजौरा (आर.ए.एस.)

वाव संख्या- 130 / 2018

1. कैलाश पिता उगमा बैरवा, निवासी - भोजरास तहसील हुरडा।

-वादीगन

बगान

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील हुरडा।

-प्रतिवादीगन

प्रेषित:-

वावपत्र अन्तर्गत धारा-88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए वावा वादी की ओर से कैलाश प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाव के आज तारीख 07.05.2018 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्की दी जाती है कि वावा वादी डिक्की किया जाकर बीजा भोजरास पटवार हुरडा भोजरास तहसील हुरडा कि आराजी न0 311/1, 313/1, 426/1, 2647/1 किरा 4 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा भूमि में कैलाश पिता उगमा 1/2, हगानी पत्नि उगमा 1/2 बैरवा होव बबस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जायें।

और इसके वाव के खर्च लेखे XXX रु. की राशि आज की तारीख से बरूनी की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें।

आज तारीख 07.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाव के खर्च

उपर्युक्त अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
गुलाबपुरा



वादी	रुपये	पैसे	वादी	रुपये	पैसे
1. वाव पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3. प्रदर्शनों के लिए स्टाम्प	00	00	3. एजीडर की फीस	00	00
4. रूपये पर एजीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6. कमिश्नर की फीस-तलवाना	00	00	6. कमिश्नर की फीस	00	00
7. आदेशिका की तामील	00	00			
8. स्टाम्प	00	00			
योग:-	00	00		00	00